रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226872
CG-DL-E-06052021-226872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943
No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

सा.का.नि. 322 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती का नियम, 2015 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में,

(क) स्तंभ (10) में स्तंभ शीर्षक के स्थान पर "भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता" रखा जाएगा;

(ख) उपनिरीक्षक के पद से संबंधित क्रम स. (1) के सामने: -

(i) शारीरिक परीक्षण से संबन्धित स्तंभ (7) में, “और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साईकिल चलाना” और “और 25 मिनट में 3 किलोमीटर साईकिल चलाना” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्तंभ (11) में, निम्नलिखित टिप्पणियाँ अंतस्थापित जाएंगी:

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज़्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु ये तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: संख्या सा. का. नि. 979 (अ) तारीख 16 दिसंबर, 2015 द्वारा अधिसूचित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2015 के आधार पर नियमित आधार पर पोषक पद रखने वाले व्यक्ति के लिए पात्रता स्वापक पदार्थ विभाग (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2000 के अनुसार उप निरीक्षक पद के लिए पात्रता सेवा बनी रहेगी।

[फा.स. क-12018/12/2013-प्रशा.III.ख]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम संख्या सा. का. नि. 979 (अ) तारीख 16 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा. का. नि. 274 (अ) तारीख 22 मार्च, 2017 और सा. का. नि. 590 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2021

G.S.R. 322 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2015: -

1. (1) These rules shall be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, -

(a) in column (10), for the column heading, “Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods” shall be substituted;

(b) against serial number 1 relating to the post of Sub-Inspector: -

(i) in column (7) relating to Physical Test, the words and figures “and cycling 8 kms in 30 min.” and “and cycling 3 kms in 25 min.” shall be omitted;

(ii) in column (11), the following notes shall be inserted: -

“Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less,

and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility service shall continue to be the same as notified in the Narcotics Department (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2000 for the post of Sub-Inspector for the person holding the feeder post on regular basis on the date of notification of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015 notified vide number GSR 979 (E) dated the 16th December, 2015."

[F.No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 979 (E), dated the 16th December, 2015 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 274 (E), dated the 22nd March, 2017 and G.S.R. 590 (E) dated the 22nd August, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.06 18:44:23 +05'30'